न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 2020 / 00173

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. शंकरराम पुत्र मोहनराम 2. ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम 3. भिसना पुत्री मोहनराम जातियान बावरी निवासी बासनी हरिसिंह तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री अशोक सैनी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–02 / 08 / 2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता के नाम की खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि थी जिस पर वादीगण के पिता काबिज होकर काश्त करता आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि है जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जो वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है, उक्त भूमि में वादीगण के दादा का नाम बलदेवराम दर्ज है जो कि गलत है। वादीगण के दादा का सही नाम प्रभुराम हे जिसकी जानकारी वादीगण को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल देने पर हुई। वादीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों व बासनी हरिसिंह के राजस्व रेकर्ड में मोहनराम पुत्र प्रभुराम है जो सही है। मोहनराम पुत्र बलदेवराम जाति बावरी नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है, जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकर्ड में वादी[illegible]ता की नाम मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की खातेदारी घो[illegible]कर र[illegible] रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ ने जवाबदावा [illegible] ग्राम भोपालगढ़ जे. बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि में निरीक्षक (भू.अ.) भोपालगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2021 के अनुसार उक्त आराजी वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादीगण के दादा का नाम बलदेवराम दर्ज है। जो गलत है। वादीगण के दादा का सही नाम प्रभुराम है। जिसकी जानकारी वादीगण को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की घोषणा कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहता है, जो माननीय न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता ने क्रय की है। निरीक्षक (भू.अ.) भोपालगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2021 अनुसार वादीगण के दादा का सही नाम प्रभुराम है। पहचान पत्र व ग्राम पंचायत बासनी हरिसिंह के सरपंच द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार मोहनराम पुत्र प्रभुराम किया जाना उचित है। वादीगण के वादपत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गयी।

वादीगण के वादपत्र एवं जवाबदावा का अवलोकन करने पर पाया कि तनकीयात की आवश्कता नही है। वादी की ओर से स्वयं वादीगण तथा भंवरलाल पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर एवं रामनिवास पुत्र शिवनाथ जाति बावरी निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये। वादीगण के वादपत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नही करने से साक्ष्य वादी जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता प्रतीत नहीं है। वादीगण वकील की बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संवत् 2075–2078 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मोहनराम पुत्र प्रभुराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत बासनी हरिसिंह पंचायत समिति भोपालगढ़ जिला जोधपुर का प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत स्वयं वादीगण एवं भंवरलाल, रामनिवास के पेश साक्ष्य शपथपत्र का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता के नाम की खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि थी जिस पर वादीगण के पिता काबिज होकर काश्त करता आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि है जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जो वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है, उक्त भूमि में वादीगण के दादा का नाम बलदेवराम दर्ज है जो कि गलत है। वादीगण के दादा का सही नाम प्रभुराम हे जिसकी जानकारी वादीगण को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल देने पर हुई। वादीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों व बासनी हरिसिंह के राजस्व रेकर्ड में मोहनराम पुत्र प्रभुराम है जो सही है। मोहनराम पुत्र बलदेवराम जाति बावरी नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है, जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का नाम मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र, जवाबदावा के अवलो[illegible]ील वादीगण की बहस पर मनन उपरान्त पाया कि वादीगण के पिता का नाम मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की खातेदारी घोषणा किया जाना उचित है। अतः वादी [illegible] अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1. 0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की खातेदारी घोषणा किया जाकर दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 02/08/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. शंकराराम पुत्र मोहनराम 2. ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम 3. भिसना पुत्री मोहनराम जातियान बावरी निवासी बासनी हरिसिंह तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

मु0न0 :रा0वा0 स0: 2020/00173

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा,
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री अशोक सैनी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 1342 के खसरा नं. 567 रकबा 0.5342 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नं. 593 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 1.6107 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में मोहनराम पुत्र बलदेवराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र प्रभुराम नाम की खातेदारी घोषणा किया जाकर दुरूस्त किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/08/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:12 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।